न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी–राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–242/2024 दावा 53,88 आर.टी.ए.

गुरमीतसिंह पुत्र पालसिंह जाति जटसिख साकिन भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
—वादी—

बनाम

1–भोलासिंह पुत्र पालसिंह जाति जटसिख साकिन भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
—प्रतिवादीगण—
2–तहसीलदार राजस्व संगरिया।

उपस्थित :–
1–श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी
2–श्री जिनेन्द्रकुमार बाथम वकील प्रति. स.1

निर्णय दिनांक :– 12.8.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अनतगर्त धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सगे भाई है। वादी एवं प्रतिवादी के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 11 बीजीपी खाता संख्या 142/61 में 3.289 है0 व खाता संख्या 59/11 में गुरमीतसिंह के नाम 0.263 है0 व भोलासिंह के नाम 0.197 है0 व खाता संख्या 60/26 में कुल 3.289 है0 में से गुरमीतसिंह के नाम 5/24 हिस्सा की 0.685 है0 व भोलासिंह के नाम 5/48 हिस्सा की 0.343 है0 दर्ज राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में है। नकल जमाबन्दी हमराह दावा है तथा कुल भूमि का विवरण दावा में दर्ज है। वादी के नाम मुताबिक जमाबन्दी 2071 अनुसार चक नम्बर 11 बीजीपी खाता संख्या 30/27 अनुसार 0.388 + 3.042 कुल 3.430 है0 भूमि दर्ज थी, लेकिन ऑन लाईन जमाबन्दी सेगीग्रेशन के बाद नई जमाबन्दी में 0.388 है0 भूमि दर्ज कर दी गई लेकिन 3.042 है0 भूमि दर्ज होने से रह गई है जो एक मानवीय एवं लिपिकिय भूल है जिसे जमाबन्दी में दूरूस्त कर मुझ वादी का हिस्सा कुल 3.430 है0 दर्ज किया जाना चाहिये जिसका वादी अधिकारी एवं दावेदार है। वादी एवं प्रतिवादीगण का घरू विभाजन हो चुका है मुताबिक विभाजन वादी के कब्जा काश्त में चक 11 बीजीपी खाता संख्या 142/61 में 2.783 है0 भूमि प्राप्त हुई व प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा काश्त में 0.506 है0 भूमि प्राप्त हुई लेकिन मान्निय न्यायालय में एक राजस्व वाद सं. 115/2021 ब अनवानी निर्मलसिंह बनाम बीकरसिंह आदि में हमें बिना सुने निर्णय कर दिये जाने के बाद उक्त भूमि हम दौनो भाईयों के बहिब0 दर्ज कर दी गई जो गलत है इससे वादी को ना पूरा होने वाला नुकसान है वादी अपने हिस्सा व कब्जा काश्त की 2.783 है0 भूमि प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है, अतः उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1–भोलासिंह का 1.1385 है0 भूमि कम कर वादी का हिस्सा बढाया जावे इसी अमर की घोषणात्मक डिक्री वादी को प्रदान की जावे ताकि राजस्व [illegible] सके। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का घरू विभाजन हो चुका है मुताबिक [illegible] क नं. 11 बीजीपी खाता संख्या 59/11 में वादी को 0.460 है0 [illegible] अतः [illegible] से प्रतिवादी संख्या 1–भोलासिंह का नाम कलमजन किया [illegible] तथा खाता संख्या 60/26 में वादी को कुल 1.028 है0 [illegible] प्रतिवादी संख्या 1–भोलासिंह का 5/48 हिस्सा कलमजन कर वादी का हिस्सा बढाया जावे इसी अमर की घोष्णात्मक डिक्री पाने का वादी अधिकारी एवं दावेदार है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का

शैष पृष्ठ 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.07 12:34:16 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

...र्ता पूर्व घरू विभाजन हो चुका है दावा के पहरा संख्या 4 व 5 में वर्णितानुसार हम भाईयो ...भूमि प्राप्त हुई है। कालांतर में प्रतिवादी संख्या 1 भोलासिंह ने अपने हिस्सा की लगभग ...मि का बेचान कर दिया है अब उसके पास मात्र 0.506 है0 अर्थात् दो बीघा भूमि शैष है ...किन राजस्व अभिलेख में लिपिकिय एवं मानवीय भूमि से गलत प्रविष्टी दर्ज होने से वादी ...का हिस्सा कम कर दिया गया है जो गलत है और उक्त प्रविष्टीया सहीं कर वादी के नाम ...भूमि सही अंकन नहीं की गई तो मुझ कभी भी अपूर्णीय क्षति हो सकती है इस बाबत मैने अपने भाई प्रतिवादी संख्या 1 को कहा कि राजस्व रिकार्ड में गलत प्रविष्टी हो गई जिसे सही कराने में मुझे अपनी सहमति प्रदान करे और दौनो भाई मिलकर अपनी–अपनी भोतिक कब्जा काश्त की भूमि का परस्पर सहमति से खाता विभाजन करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण पहले तो आजकल आजकल कहकर टालमटोल करता रहा अन्त में पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया। बस विनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर दावा पेश होने पर व सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तारीख मुकर्र की गई। मुकर्र तारीख पेशी पर प्रतिवादी संख्या 1 के वकील ने जबाबदावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रति.सं. 2 का जबाब स्टेट पेश हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दावा में इकबालिया जबाब पेश होने से दावा में कोई विवाद नहीं रहा इस कारण तनकीयात की आवश्यकता नहीं रही। साक्ष्य वादी में वादी ने शपथ पत्र आ.18 नि.4 सी.पी.सी. पैश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दीया प्रदृशित कराई गई। बहस वकील वादी की सुनी गई,व पत्रावली का सम्पूर्ण अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक पूर्व अभिलेख एवं कब्जा काश्त अनुसार अपने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया जमाबन्दी में भूमि वादी एवं प्रतिवादी के नाम दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज भी नहीं है इस कारण वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

<u>क्रियात्मक आदेश</u>

वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि वादी मुताबिक घरू विभाजन एंव अपने हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि चक 11 बीजीपी खाता संख्या 142/61 में 2.783 है0 भूमि का वादी गुरमीतसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का 1.1385 हिस्सा कम करके वादी का हिस्सा बढाया जावे शैष 0.506 है0 प्रतिवादी संख्या 1–भोलासिंह के अंकन किया जावे तथा इसी चक नंबर 11 बीजीपी खाता संख्या 59/11 में वादी को 0.460 है0 व खाता संख्या 60/26 में वादी को कुल 1.028 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खातों से प्रतिवादी संख्या 1–भोलासिंह का नाम कलमजन कर वादी का हिस्सा बढाये जाने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Veri...
Digitally signed by Rak...
Meena
Date: 2024.09.07 12:34
Reason: SelfAttested

अतः पर्चा डिकरी जारी हो तथा पत्रावली फैसला शुमार होकर ... दाखिल दफ्तर होवे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अ... डिक्रित दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.8.2024 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं ...

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 सी.पी.सी.)

न्यायालय–सहायक कलक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या– 242/2024 वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 88 आर.टी.ए.।

गुरमीतसिंह पुत्र पालसिंह जाति जटसिख साकिन भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

––वादी–

बनाम

1–भोलासिंह पुत्र पालसिंह जाति जटसिख साकिन भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़

2–तहसीलदार राजस्व संगरिया।

––प्रतिवादीगण–

उपस्थित :–

1–श्री नवरत्न स्वामी वकील वादी

2–श्री जिनेन्द्रकुमार बाथम वकील प्रति. स.1

यह मुकद्मा आज वास्ते इन फिसाल कतई हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी एडवोकेट मिन जानिब मुदई जानिब श्री जिनेन्द्र कुमार बाथम मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–वादी मुताबिक घरू विभाजन एंव अपने हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि चक 11 बीजीपी खाता संख्या 142/61 में 2.783 है0 भूमि का वादी गुरमीतसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1 का 1.1385 हिस्सा कम करके वादी का हिस्सा बढाया जावे शैष 0.506 है0 प्रतिवादी संख्या 1–भोलासिंह के अंकन किया जावे तथा इसी चक नंबर 11 बीजीपी खाता संख्या 59/11 में वादी को 0.460 है0 व खाता संख्या 60/26 में वादी को कुल 1.028 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खातों से प्रतिवादी संख्या 1–भोलासिंह का नाम कलमजन कर वादी का हिस्सा बढाये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रित दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावे।

निज.....X.....मुब्लिक.....X.....बाबत.....X.....।.खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालना आज की तारीख बसूलयाबी तक.....X.....को अदा करे।

बसब्त मैरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.8.2024 को जारी किया गया

(राकेश ...)

सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena

Date: 2024.09.07 12:34:16 IST

Reason: SelfAttested